# HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

### **NOTIFICATION**

DATED: ALLAHABAD: APRIL 17, 2019

No. 1757 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1/2019/43/II-4-2019-45(7)/2016 dated 02.04.2019, Sri Atul Kumar Nayak, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Basti.

### BY ORDER OF THE COURT

sd/-(MAYANK KUMAR JAIN) REGISTRAR GENERAL

## No. 215/Admin. (Services)/2019: Allahabad: Dated: April 17, 2019

Copy forwarded for information & necessary action to:

- 1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
- 2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
- 3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
- 4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
- 5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
- 6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
- 7. All the District & Sessions Judges subordinate to High Court of Judicature at Allahabad alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification Nos. 1/2019/43/II-4-2019-45(7)/2016 dated 02.04.2019 (Information available on E-mail).

The concerned District & Sessions Judge subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad is directed that to permit the newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The concerned District & Sessions Judge is also directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/appointed candidate of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

- 8. Newly selected candidate Civil Judge, Junior Division
  - 1. Sri Atul Kumar Nayak S/o Late Prem Chandra Nayak, R/o 158, Jagarnathpur, Gorakhpur, U.P. 273001

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment Nos. 1/2019/43/II-4-2019-45(7)/2016 dated 02.04.2019 respectively.

- 9. The Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
- 10. The Joint Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
- 11. The Officer on Special Duty (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
- 12. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
- 13. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
- 14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
- 15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
- 16. P.S. to Hon'ble Judges, with the request to place this notification before the Hon'ble Judges sitting at Allahabad & Lucknow for their Lordship's kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT

sd/-(ATUL SRIVASTAVA) JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

# उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-1/2019/43/दो-4-2019-45(7)/2016

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2019

# विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित 30प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री अतुल कुमार नायक (अनुक्रमांक-019437) (अनुस्चित जनजाति) पुत्र- स्व0 प्रेम चन्द्र नायक को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त (Provisonal appointment) किये जाने की इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-ए-61611/2015 प्रशान्त कुमार नायक बनाम 30प्र0 राज्य व अन्य (के साथ सम्बद्ध 04 अन्य याचिकाएँ) में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी तथा यदि भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त केस में श्री अतुल कुमार नायक के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो श्री नायक की नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।

2- श्री अतुल कुमार नायक की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मुकुल सिंहल अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-1/2019/43(1) /दो-4-2019-45(7)/2016</u>, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सिहत) एवं चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि यदि उक्त अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-36/02/ई-2/2015-16, दिनांक 11 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद को 30प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।

सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी/ औपबन्धिक है। (8) अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना सम्चित कारणों के वह मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में निय्क्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी/औपबन्धिक रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। अन्भागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

-..चा स, ( विजय कुमार संखवार ) उप सचित्र